न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 173/2020

निर्णय दिनांक :– 08.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

इन्द्रा देवी पत्नी मदनलाल जाति मीणा उम्र 47 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक।

–प्रार्थीया–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. हरकू देवी पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. घीसी देवी पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. धन्नालाल पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नं0 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता नं0 271 ख0नं0 250 रकबा 3.70 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 3.70 है0 वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी नं0 2 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी नं0 3 का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नं0 2 व 3 ने मौके पर अपने–अपने हिस्से की भूमि का मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर मेडबंदी कर रखी है। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि के पहले राजकीय बंजड भूमि ख़ाता संख्या 1 ख0नं0 252 रकबा 0.11 है0

नग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त बंजड भूमि में से ही होकर प्रार्थीया अपने 1/2 हिस्से की भूमि में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु बंजड भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से होकर क्रय के समय से ही आती–जाती रही है तथा काश्तकारी कार्य करती है। परन्तु अतिक्रमी व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थीया के कदीमी रास्ते में कांटो की बाड लगाकर रास्ता बंद का दिया है। मौके पर विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थीया को राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण को दिये जाने वाले रास्ते की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाने के लिए प्रार्थीगण तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की अप्रार्थीगण नं0 2 व 3 सहखातेदार होने के कारण प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध प्रार्थीया कोई अनुतोष नहीं चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग, काश्तकारी कार्य करने हेतु उक्त राजकीय बंजड भूमि में से लगभग 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 4 को बाद रिपोर्ट प्रार्थना पत्र आदेश 1 आर नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः–प्रार्थीया की आराजी ख0नं0 250 पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को अपनी आराजी तक पहुंचने के लिये रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीया की सहमति के अनुसार ख0नं0 252 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 110 मीटर यानि क्षेत्रफल 4 X 110 = 440 वर्गमीटर, ख0नं0 254 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 6 मीटर, यानि क्षेत्रफल 4 X 6 = 24 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 440 + 24 = 464 वर्गमीटर होगा। रास्ते की प्रस्तावित भूमि NH–12 से 1.5 किमी दूर और कमाण्ड क्षेत्र में है। आवेदित रास्ते की भूमि की DLC दर 1265488/– रूपये प्रति है0 है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि

117438/– रूपये होती है। ग्राम दूनी का ख0नं0 250 रकबा 3.70 है0 प्रार्थीया इन्द्रा देवी पत्नी मदनलाल जाति मीणा, सा0 देह हिस्सा 1/2, घीसी देवी पत्नी जगन्नाथ हि0 1/4, हरकू देवी पत्नी कालू मीणा हि0 1/4 सा0 बंथली की संयुक्त खातेदारी में है। प्रार्थीया द्वारा केवल ख0नं0 252 से ही रास्ता चाहा गया है, जबकि ग्राम दूनी के रास्ते ख0नं0 276 से गुजरने के बाद ख0नं0 254 से भी गुजरना होगा। प्रस्तावित रास्ते को ख0नं0 252, 254 को लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड, दीवार आदि नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित ख0नं0 254 रकबा 0.18 है0 किस्म बंजड धन्नालाल पुत्र जगदीश ब्रा0 निवासी दूनी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुकदमे में श्री धन्नालाल को पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिए श्री धन्नालाल की सहमति या असहमति नहीं ली गई है। अन्य ख0नं0 252 रकबा 0.11 है0 राजकीय भूमि है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस 02 प्रतियां, जमाबंदी की प्रतियां संलग्न कर रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीया की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। ।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है, अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनकी मूक सहमति है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में

लाल स्याही से दर्शित अनुसार ख0नं0 252 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 110 मीटर यानि क्षेत्रफल 4 X 110 = 440 वर्गमीटर, ख0नं0 254 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 6 मीटर यानि क्षेत्रफल 4 X 6 = 24 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 440 + 24 = 464 वर्गमीटर रास्ते की भूमि की DLC दर 1265488/– रूपये प्रति है0 है, जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 117438/– रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली